न्यायालय, जिला न्यायाधीश, हाजीपुर, वैशाली।

स्वत्व अपील वाद संख्या–10 / 2022

रामचन्द्र सिंह .....अपीलकर्ता।

बनाम्

रेखा देवी एवं अन्य .....उत्तरवादी।

Web Copy not Official

21.05.2024 अपीलकर्ता द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व्य0प्र0 संहिता दिनांक–18.04.2024 वे उसके विरूद्व उत्तरवादी सं0–1 द्वारा दाखिल विरोध पत्र पर उभय पक्षों को सुनने उपरांत आज अभिलेखा आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अपीलकर्ता ने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि टाईपिस्ट ने भूल वश उत्तरवादी सं0–2 मो0 गीता शर्मा के पति का नाम बेचन शर्मा व उत्तरवादी 3 व 4 के पिता का नाम भी बेचन शर्मा अपील के मूल आवेदन में अंकित हो गया है। अतः न्यायहित में गीता शर्मा के पति तथा उत्तरवादी सं0–3 व 4 के पिता का नाम बच्चा शर्मा के रूप में संशोधित करने हेतु प्रार्थना की गई है।

उत्तरवादी 1 की ओर से दाखिल विरोध पत्र द्वारा कथन किया गया है कि अपीलकर्ता ने जान–बुझकर वाद पत्र में गलत नाम अंकित कराया है जिसके कारण उना संशोधन आवेदन खारिज योग्य है। अतः संशोधन आवेदन को तथ्यहीन व गुणहीन होने के कारण खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

संशोधन आवेदन जो शपथ पत्र युक्त है तथा विरोध पत्र पर उभय पक्षों को सुनने उपरांत अभिलेख का अवलोकन किया। मूल अभिलेख के वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी–2 / प्रतिवादी–3 मो0 गीता शर्मा के पति का नाम स्व0 बच्चा शर्मा व उत्तरवादी सं0–4 व 5 / प्रतिवादी–3 व 4 के के पिता का नाम बच्चा शर्मा अंकित है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपील वाद पत्र में टंककीय भूलवश गलत शब्द अंकित हो गया है। अपीलकर्ता का आवेदन शपथ पत्र युक्त है। लाये गये संशोधन सामान्य प्रकृति के है तथा इससे वाद पर कोई प्रतिकुल असर होता प्रतीत नहीं होता है। न्यायहित में अपीलकर्ता का प्रस्तुत आवेदन स्वीकारणीय है।

लगातार

21.05.2024 अतः संशोधन आवेदन स्वीकृत किया जाता है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता विधिमान्य अवधि में आवेदनानुसार अपील वाद पत्र में संशोधन करें। संशोधित उत्तरवादी के विरूद्व नये संशोधित नाम के साथ नोटिस की पैरवी अविलंब करे तथा पैरवी पश्चात् कार्यालय नोटिस निर्गत करें।

वाद दिनांक–10.06.2024 नोटिस की पैरवी हेतु।

Web Copy not Official

जिला न्यायाधीश,
हाजीपुर, वैशाली।